

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

180/अपील/2017

09.05.2017

15.06.2018

नारायण आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दगांव तहसील
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) - अपीलांत

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)
- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22.03.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से - श्री श्याम दत्त दाधिच, अभिभाषक।
रेस्पोजेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 3215, 3217 रकबा 05 बीघा किस्म सिवायचक बंजड वाके ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 625/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्त ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा शास्ति की राशि व फसल नीलामी की राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र गवाहान लिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को



पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं ना ही अपीलान्ट को पूर्व में विवादित भूमि से बेदखल किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हुये बिना सजा के दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 22.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक बंजड भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक बंजड भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्टीन निर्णय व पटवारी बयान व रिपोर्ट में अंकित है जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक सिवायचक बंजड भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)